कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु./सामान्य/9/13/4/92/1701 दिनांक :– 15-05-12

परिपत्र

विभाग द्वारा भूमि सम्बन्धी सीमा ज्ञान/पत्थरगढी प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा अनेक परिपत्र प्रसारित कर दिशा निर्देश प्रसारित किये हुए है। पूर्व में प्रसारित विभिन्न परिपत्रों की निरन्तरता के क्रम में निम्नांकित निर्देश दिये जाते है :–

1. न्यायालय के आदेश, दो ग्रमों के मध्य सीमा विवाद अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की स्थिति आदि से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र राज्य सरकार/जिला कलेक्टर के माध्यम से तकनीकी टीम की मांग किये जाने पर सशुल्क टीम भू–प्रबन्ध अधिकारी अपने स्तर से उपलब्ध करवायेगे जिसकी सूचना मुख्यालय को तत्काल दी जावेगी

2. जिला कल्कटर्स से प्राप्त प्रकरणों में सम्बन्धित खातेदार, निगम, बोर्डो, प्राधिकरण, पावर प्लान्ट, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, केन्द्रीय सरकार के विभाग आदि से सीमाज्ञान में तकनीकी टीम उपलब्ध कराने से पूर्व नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जावे।

3. राज्य सरकार/जिला कलक्टर्स द्वारा निशुल्क सीमा ज्ञान के प्रकरण भी प्राप्त होते है। ऐसे प्रकरणों में यदि विवादित भूमि राज्य सरकार के राजकीय विभाग के नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है या सम्बन्धित जिला कलक्टर बाद जांच राज्य हित में मानते हुए प्रकरण निशुल्क सीमाज्ञान हेतु भू–प्रबन्ध विभाग को भिजवाता है तो ऐसे प्रकरणों में राजस्व एजेन्सी द्वारा किये गये प्रयासों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर निशुल्क टीम उपलब्ध करवायी जायेगी।

4. यदि प्रकरण निजी खातेदारों तथा राजकीय भूमि/राजकीय विभाग के मध्य विवाद का है तो ऐसी स्थिति मे मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति से तकनीकी टीम निशुल्क उसी अवस्था में उपलब्ध करायी जावेगी जब सम्बद्व जिला कलक्टर यह तथ्य प्रमाणित करेंगें कि सीमाज्ञान पूर्णतया राज्यहित में है। निजी खातेदार द्वारा स्वयं ऐसे प्रकरण में सीमा ज्ञान की इच्छा प्रकट की गई है या आवश्यकता बताई गई है तो यह सशुल्क होगा।

5. जिन सीमाज्ञान प्रकरणों में विभाग द्वारा एक बार किसी भी पद्वति (जरीब/ ई.डी.एम./ई.टी.एस.) से सीमाज्ञान में तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवा दिया गया है, उनमें पुनः टीम नही भिजवाई जावे। जटिल प्रकरण जिनमें जरीब से सीमाज्ञान सम्भव नही हो, उन प्रकरणों में मशीन भेजने से पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार की टीम व भू–प्रबन्ध टीम द्वारा संयुक्त रूप से किये गये सीमाज्ञान प्रयासों में विफल रहने पर ई.डी.एम./ई.टी.एस. टीम तकनीकी सहयोग हेतु अपने स्तर से उपलब्ध करावे।

(2)

6. सीमाज्ञान की समस्त कार्यवाही राजस्व ऐजन्सी द्वारा ही सम्पन्न की जावेगी तथा भू–प्रबन्ध विभाग आवश्यक तकनीकी सहयोग ही प्रदान कराएगा ई.टी.एस./ई.डी.एम. से सीमाज्ञान रिपोर्ट भू–प्रबन्ध कार्मियों द्वारा व जरीब से सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व एजेन्सी द्वारा तैयार की जावेगी। दोनो प्रकार की सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर दोनों विभाग के कार्मिक हस्ताक्षर करेगे एवं दोनों प्रकार की रिपोर्ट का संधारण राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा। इस विषय में कोई विवाद होने पर अंतिम निस्तारण आयुक्त भू–प्रबन्ध ही करेगें।

उक्त निर्देशों की सूचना समस्त सम्बद्ध स्टाफ तक पहुचायी जावे तथा इनकी तत्परता से पालना सुनिश्चित की जावे।

भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/सामान्य/9/13/4/92/1702-47 दिनांक :– 15-05-12

प्रतिलिपि :– निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. जिला कलक्टर . . . . . ।
3. भू–प्रबन्ध अधिकारी . . . . . ।
4. गार्ड फाईल . . . . . ।

भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान जयपुर

15-5-2012